शिक्षण के सिद्धांत (Principles of Teaching) अभ्यास 1.1 से सम्बन्धित सिद्धान्त
व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य (BVS) और प्रशिक्षण के लक्षण (BVS & Traits of Instructor)

भारत में व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन (Overview of vocational scenario in India)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- **भारत में व्यावासयिक प्रशिक्षण के महत्व को बता सकेंगें**
- **भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शासी एजेंसियों (Governing agency) की जानकारी होगी**
- **NCVT की विभिन्न योजनाओं का वर्णन कर सकेंगें**
- **कौशल कार्यान्वयन एजेंसियों की जानकारी होगी।**

व्यावसायिक शब्द का अर्थ है "किसी कार्य अथवा नौकरी की तैयारी के लिए योग्यता और शिक्षा प्रदान करना" अथवा "योग्य कूशल श्रमिकों का प्रशिक्षण।"

योजना आयोग के द्वारा परिभाषित योग्य मिस्त्री/कुशल श्रमिक इस प्रकार एक कारीगर जो किसी एक व्यवसाय से संबंधित है और आमतौर पर कुशल/योग्य रूप में स्वीकार किया गया है और कई उद्योगों (Industries) में पाया जाता है।

भारत सरकार ने युद्ध तकनीशियनों के प्रशिक्षण/योजना का आरम्भ वर्ष 1940 में कोनी विलासपुर में किया और अब यें छत्तीसगढ राज्य में है। उत्पादन नये फैक्टरी प्रणाली से पहलुओं भारतीयों पर लाई गई। युद्ध तकनीशियन योजना के वर्ष 1946 में तकनीकी योजना के द्वारा चलाया गया था।

इन सभी योजनाओं को संशोधित किया गया और एक व्यापक योजना सम्मिलित किया गया जिसे हम व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना की तरह जानी जाती है। डिजाइन की गई प्रशिक्षण पदावनत सेवा कर्मियों को दिया गया लेकिन यह जुलाई 1950 में खत्म कर दी गई।

पूर्व सेनिकों की प्रशिक्षण योजनाओं के पूरा होने के बाद वर्ष 1950 में भारतीय सरकार द्वारा नागरिकों का प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय मूल पर शुरू किया गया श्रम और कल्याण मंत्रालय में निदेशालय सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के अधीन (DGET) और अब इसे कौशल विकास उद्यमिता के मंत्रालय के अंदर प्रबंध निदेशक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है।

प्रशिक्षण निदेशालय **Directorate general of training (DGT)**

कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय सर्वोच्च संगठन है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को विकसित और समन्वय करने के लिए देश में युवा और महिलाओं के रोजगार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित है अथर्व्यवस्था को कुशल/योग्य जनशक्ति प्रदान करने के लिए । उप महानिदेशक (शिक्षण प्रशिक्षण) के तहत अपर्याप्त है दो महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण (DGET और T) इसके साथ साथ इनकी सहायता प्रणाली को कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय मे स्थानांतरित कर दिया जाता है।

DGT की प्रमुख भुमिकायें शामिल है **(Major roles of DGT include)**

- व्यावसायिक प्रशिक्षण पर नीति निर्माण।
- मानकों को स्थापित करना।
- संशोधित पाठ्यक्रम कार्यक्रम
- व्यवसाय परीक्षण
- प्रमाणीकरण

कार्य (Functions)

DGT से संबंधित प्राण संस्थान प्रदान करते है जो श्रम बाजार में विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते है। स्कूल लेवल, ITI पासआउट, ITI प्रशिक्षक, औद्योगिक कर्मचारी, तकनीशियन, कनिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक/फॉरमैन महिला, शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति और SC/ST के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यह प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षकों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण उन्मुख अनुसंधान और विकसित निर्देशालय मिडिया पैकेज भी कराता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए DGT एक सचिवालय और राष्ट्रीय कार्य परिषद का कार्यान्वयन करता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण (NCVT) के लिए राष्ट्रीय परिषद (National council for vocational training (NCVT))

व्यावसायिक प्रशिक्षण (NCVT) के लिए राष्ट्रीय परिषद एक त्रिपक्षीय निकाय की स्थापन की गई एक प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 1956 में श्रम मंत्रालय के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दो पर सलाह देने केलिए जिनमें शिल्पकार (Craftsman) प्रशिक्षण प्रणाली जैसे-पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग मापदंडों की गुणवत्ता को बनाये रखना संबंधित तय करने के मापदंड, संस्थानों को संबंधता देना, व्यवसाय परीक्षण और प्रसारण भी सम्मिलित है। माननीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता के तहत NCVT MSDE में स्थानांतरित होने के बाद आंशिक रूप से संशोधित हो और पुनः गठित हुआ। कौशल विकास उद्यमिता ,w.e.f. 13/05/2015

परिषद में केन्द्रिय मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते है। राज्य सरकारों (नियोक्ता संगठन), कर्मचारी संगठन का NCVT का संचिवीय समर्थन है जो कि DGT के द्वारा योग्यता प्रदान किया गया है। व्यावसायिक योग्यता युक्त व्यक्ति SC/ST के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों।

NCVT के मुख्य कार्य (The major functions of NCVT are):

- इंजीनियरिंग ट्रेडों में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र पुरूस्कार स्थापित करना।

- पाठ्यक्रम के संबंध में मानक निर्धारित करना, उपकरण के पैमाने, कोर्स (Course) की अवधि और प्रशिक्षण की विधियाँ।
- विभिन्न व्यवसाय पाठ्यक्रम में व्यवसाय के लक्षणों को व्यवस्थित करना और व्यवसाय परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रवीणता के मानक (Standard) निर्धारित करना।
- देश में प्रशिक्षण संस्थानों के विशेष समय समय पर निरीक्षणों की व्यवस्था करना।
- शर्तें/परिस्थितियां निर्धारित करना मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो कि सरकारी और प्राइवेट ऐजेन्सी के द्वारा चलाई जा रहे है। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र के अनुदान के स्वीकृति के लिए।
- प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता निर्धारित करना।
- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र के पुरस्कार के लिए पात्रता के मानक और शर्तें निर्धारित करना।
- जहाँ भी आवश्यक हो अतिक्ति प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान की सिफारिश करें और अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में ऐसी सहायता प्रदान करें या अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन में संभव हो सकता है।

इसी प्रकार के परिषदों को व्यवसायिक प्रशिक्षण (SCVT) के लिए राज्य परिषदों की तरह जाना जाता है। इनका गठन कौशल विकास से संबंधित मुद्दो पर राज्य सरकार की सलाह के लिए किय जाता है। इन SCVT को सोसायटी की तरह पंजीकृत होने के लिए NCVT के द्वारा सलाह दी जाती है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के तहत।

NCVT MIS पैटर्न: ITI से संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन एक्सेस कराने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय ने NCVT MIS पोर्टल को लॉन्च किया निम्न जानकारियों

- सारे मान्यता प्राप्त जानकारी और प्राइवेट ITI की जानकारी
- कौशल प्रशिक्षण/शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने उम्मीदवार
- कुशल/योग्य श्रमिकों की मांग करने वाले नियोक्ता (काम देने वाले)
- नागरिकों की जानकारी और फीट वैक
- ITI और स्वीकृति पाठ्यक्रम
- नामांकन पारदर्शिता
- प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम
- स्व-लाभ (self profile) और प्रशिक्षण प्रगति पर दृश्यता
- ई-मार्कशीट और इ-प्रमाणपत्रों के लिए ऑन लाइन पहुँच
- ई-मेल और अलर्ट
- प्लेसमेंट की सुविधा
- ITI की स्टार ग्रेडिंग

NCVT-MIS पोर्टल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए www.ncvtmis.gov.in

क्षेत्रीय निदेशालय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (RDAT) की जिम्मेदारी व्यवसाय प्रशिक्षु अधिनियम की निगरानी, केन्द्रिय सरकार उपक्रम/विभाग से।

वर्तमान में RDAT है जो कि चैन्नई (तमिलनाडू), फरीदाबाद (हरियाणा), हैदारबाद (आंध्रप्रदेश), कोलकाता (वेस्ट बंगाल) और मुम्बई (महाराष्ट्र) में स्थित है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) (National Skill Development Agency (NSDA))

राष्ट्रीय कौशल विकास ऐजेंसी कौशल विकास और प्रशिक्षुता के मंत्रालय का एक गुणवत्ता आवश्वासन और नीति अनुसंधान निकाय है जो कि कौशल पारिस्थितिकी तंत्र (Skilling ecosystem) में आता है। राष्ट्रीय कौशल विकास ऐजेन्सी को जून 2013 में कौशल विकास पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कौशलन विकास समन्वय बोर्ड और पीएम के सलाहाकार के पद पर नियुक्त करके अधिसूचित किया गया था। NSDA एक स्वायत्व निकाय है जो सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय NSDA के लिए नोडल मंत्रालय है।.

6 जून 2013 के राजपत्र (gazette) अधिसूचना के अनुसार NSDA को सौपें गए कार्यों में शामिल है।

- 12th पंचवर्षीय योजना और इससे आगे की परिकल्पना के अनुसार स्किलिंग लक्ष्यों को पूरा करने के सभी संभव कदम उठाना।
- सुनिश्चित करें कि वंचितों और हाशिए (Marginalized) समूह जैसे SCs, STs, OBCs, अल्पसंख्यक महिलायें और विकलांगों की कौशल जरूरत को ध्यान में रखा गया है।
- राज्य केन्द्रिय मिशन (Mission) के लिए नोडल ऐजेंसी
- विभिन्न केन्द्रिय मंत्रालय और विभागों राज्य सरकारों और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कौशल समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना।
- ऐंकर और NSQF का संचालन।
- कौशल विकास के लिए अति बजटीय संसाधन को बढ़ाना।
- दक्षता को आंकलन करने और सुधारात्मक कार्यावाही का सुझाव देने के लिए मौजूदा कौशल विकास योजना का मूल्यांकन करना।
- एक गति शील श्रम बाजार सूचना प्रणाली (LMIS) के अवमूल्यन सहित कौशल कौशल विकास से संबंधित राष्ट्रीय डेटा बेस बनाना और उसका अनुरक्षरण करना।
- सिफारिश के लिए सकारात्मक कार्यावाही।
- सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

कौशल विकास और उद्यमिता, (2015 के तहत) के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार NSDA के अतिरिक्त कार्य निम्नानुसार है। (Additional functions of NSDA as per national policy for skill development & entrepreneurship, 2015 are as under)

- कौशल परिदृश्य में परिणामों की स्थिरता को बहेतर बनाने के लिए NSQF में गुणवत्ता आश्वासन फ्रेम वर्क (QAF) की स्थापना और संचालन करना, जिसमें देश में प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन

प्रक्रियाओं और एजेंसियों के लिए एक रूप रेखा तैयार करना शामिल है।

- NSDA के तहत राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (NSRD) घर की स्थापना जो कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान पर जानकारी केवल एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास में एक विश्वसनीय अनुसंधान संगठन के रूप में विस्तारित होगा। भारत में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान के लिए प्रमाणिक गुणात्मक रूप में कार्य करता है।
- प्राइवेट प्रशिक्षण प्रदान करने वालो को मान्यता और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्रीय नवाचार
- QA ढांचे का पालन करने वाली SSCs/Ageniss के द्वारा स्किल इंडिया प्रतीकों का कौशल प्रमाणपत्र पर उपयोग को बढावा देना

(National Skills Qualifications Framework (NSQF))

भारतीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) एक योग्यता आधारित ऐसे ढांचे है जो ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तरो की एक श्रृंखला के लिए योग्यताओ को आयोजित करता है इस स्तरो की एक से दस तक वर्गीकृत किया जाता है सीखने के परिणामों में संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जो सीखने वाले को इस बात की परवाह किए बिना होना चाहिए कि क्या वे अनौपचारिक, गैर - औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये है।

(NSQF) को भारत में 27 Dec 2013 को अधिसूचित किया गया था NVEQF (नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) सहित अन्य रूप रेखाओ, HRD मंत्रालय थे और अब इनको NSQF द्वारा अधिग्रहित किया गया है। NSQF आज्ञाकारी (Compliant) प्रशिक्षण शैक्षिण कार्यक्रमो के आधार पर सरकारी धनराशि की सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है।

NSQF शिक्षा में प्रतिमान बदलाव लायेगा जो योग्यता/परिणाम शिक्षा पर आधारित होगा। पूर्व शिक्षा की मान्यता में मदद करेगा और साथ ही भारतीय योग्यता को अंतराष्ट्रीय स्तर पर ले जायेगा।

यह एक योग्यता आधारित ढांचा है जो योग्यता को 10 स्तरों में व्यवस्थितकरता है जिसमें प्रवेश स्तर 1 और उच्चतम स्तर 10 है इन स्तरों में दक्षताओं की निम्न श्रेणियों की विशेषता है।

- **प्रोफेशनल नॉलेज (Professional knowledge)** - व्यक्ति को उस स्तर पर क्या पताहोना चाहिए।
- **प्रोफेशनल स्किल (Professional skills)** - उस स्तर पर व्यक्ति क्या करने के योग्य है।
- **कोर स्किल (Core skills)** - व्यक्तिगत विशेषतायें जो लोगों को प्रभावी और सामंजस्यपूर्ण रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाती है।
- **जिम्मेदारी (Responsibility)** -: पर्यवेक्षण का मापदण्ड जो व्यक्ति पर काम करते समय प्रयोग करने की आवश्यकता है कितना पर्यवेक्षण करने की जरूरत और क्षमता दूसरे व्यक्तियों पर करने की आवश्यकता होगी।

(Process of NSQF alignment)

NSQF संरेखण की प्रक्रिया: पुरस्कृत निकाय अपनी योग्यता/पाठ्यक्रम NSDA को प्रस्तुत करती है। NSQF के अनुमोदन प्रॉब करने के लिए ताकि वो NSQF से संरेखण हो जाये। पुरस्कृत निकाय अपनी जानकारी योग्यता फाइल नामक टेम्पलेट मे जमा करते है। योग्यता फाइल वह साधन है जिसके द्वारा पुरस्कार दने वाले निकाय राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति को प्रमाण प्रस्तुत करते है कि उनकी योग्यता NSQF का अनुरूप है। NSQF योग्यता फाइल आंकलन और सहज निर्णय और पंजिकरण तैयारियाँ प्रस्तुत करना NSQF योग्यता का पंजीकरण सक्षम निकाय ।

Fig 1

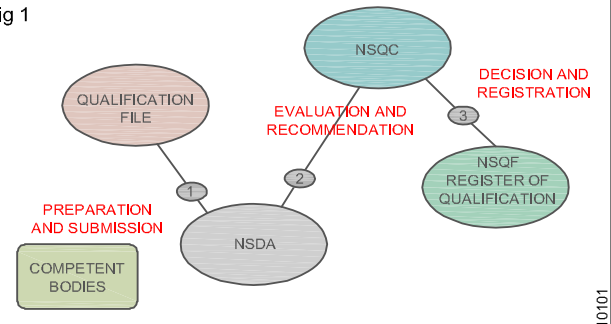

NSQF संरेखण : चरणीय प्रक्रीया योग्यता फाइल एक गुणवत्ता के NSQF अनुपालन स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करती है योग्यता फोल्डर निम्न जानकारी रखती है

- एक सरांश शीट जिसमें योग्यता के बारे में जानकारी दर्ज की जानी चाहिए।
- एक संचरित दस्तावेज जिसमें ये दिखाते हुए कि योग्यता NSQF आवश्यकताओ को पूरी करती है दर्ज किया जाना चाहिए
- योग्यता से जुडे साक्ष्य का समर्थन करना की फाइल यानी कि पहले से ही मौजदा दस्तावेज पूरी की गई फाइलो में जानकारी का वैकअप लेने के लिए सामिल है

योग्यता फाइल टेमटलेट (Qualification file template)

योग्यता (Qualification)

- शीर्षक योग्यता प्रमाणपत्र पर है, शीर्षक जितना संभव हो उतना स्पष्ट ओर सुचनात्मक होना चाहिए।
- कोर्ट भी पहचान संख्या जो औपचारिक रूप से प्रमाणित निकाय द्वारा योग्यता को आंवटित की हुई है का शामिल किया जाना चाहिए।

योग्यता की प्रकृति और उददेश्य (Nature and purpose of the qualification)

- योग्यता की प्रकृति को दर्शाये। उदाहरण के लिए एक योग्यता पैक (QP) एक प्रमाणपत्र हे व्यावसाय प्रमाणपत्र है जो QP से जुडा हुआ है एक डिप्लोमा जो राष्ट्रीय व्यवसायीक (NOS), या योग्यता जो सिधे किसी भी QP या NOS से जुडा नही है उसे शामिल करें।

- योग्यता के प्रमुख उद्देश्य और लेट शिक्षार्थियों को इंगित करवायें जैसे कि लोगों को काम के लिए डिजाइन किया गया, एक योग्यता जो पहले से ही काम करने वाले लोगों के लिए एक योग्यता जो लोगों को तकनीकी परिवर्तन के आधार पर नये कौशल जोड़ने की अनुमति देती है।

(Craftsmen Training Scheme (CTS))

कारीगर/शिल्पकार प्रशिक्षण योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT (पूर्व में) DGE&T श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने शिल्पकार योजना के अंतर्गत 1950 में 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना जिनके द्वारा देश के प्रोद्योगिक और औद्योगिक विकास को बढ़ाया जाए और इस उद्देश्य हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यवसाय में लागों कुशल कर उपलब्ध कराया जाए। ITI's में वृद्धि का दूसरा प्रमुख चरण पश्चिम एशिया में आर्ये oil-boom (तेल क्रांति) के साथ आया और भारत से उस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का निर्यात किया गया। 1980 में दक्षिणी राज्यों में केरल, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश आदि में कई प्राइवेट ITI स्थापित किये गये। जहाँ प्रशिक्षित कारीगरों (Skilled men power) को मुख्य रूप से खाड़ी देशों बेसमेंट मिला। 980 में कुल 830 ITI थे और 1987 ITI की संख्या बढ़कर 1900 हो गई थी। 1990 के दौरान ITI विकास तेजी से हुआ और वर्तमान में 10750 से अधिक ITI 2275 सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में 8475 है। इसमें कुल सीटें 15.22 लाख है।

भारतीय संविधान के तहत, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र और राज्स सरकारों दोनों को एकांत (Concurrent) विषय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजनाओं का विकास, नीति का विकास, प्रशिक्षण के लिए मानकों, मापदण्डों, परिक्षाओं का संचालन, प्रमाणीकरण आदि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियों जबकि प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों / UT का प्रशासकों के साथ होता है। केन्द्रिय सरकार को (NCVT) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सलाह दी जाती है। यह परिषद एक त्रिपदीय निकाय जिसमें नियोक्ता, कार्यकर्ता केन्द्रिय/राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते है। इसी तरह के परिषद राज्य स्तरों पर व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) होते है।

सेमेस्टर प्रणाली (Semester system)

प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना की लम्बी अवधी के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदल दिया है। अगस्त 2013 से पाठ्यक्रम के बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि एक अर्द्ध कुशल श्रमिक /कारीगर या स्वरोजगार कारीगर तैयार हो सके।

प्रशिक्षण का 70% समय प्रेक्टीकल प्रशिक्षण को दिया गया तथा बचा हुआ समय अन्य विषयों जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन साइंस और इंजीनियिरंग ड्राइंग को दिया गया है अतः कौशल निर्माण पर जोर दिया गया है।

प्रशिक्षणार्थीयों के सभी व्यक्तित्व विकास के लिए 2012 जुलाई के सत्र से "employability skill" पर एक पाठ्यक्रमक पेश किया है। यहपाठ्य क्रम में साक्षरता, अंग्रेजी साक्षरता, व्यवसायिक, अंग्रेजी साक्षरता, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य गुणवत्ता उपकरण संचार कौशल (Comm. skill), उद्यमिता कौशल पर्यावरण शिक्षा विद क्रम कल्याण कानून है।

प्रशुद्धता प्रशिक्षण योजना का अवलोकन (An overview of apprenticeship training scheme)

पृष्ठभूमि (Background)

किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास महत्व पूर्ण है। कौशल को उन्नयन मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण घटक है। केवल संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करना कौशल के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नही है। अतः कार्यस्थल पर प्रशिक्षण द्वारा पूरक होने की आवश्यकता है। प्रशिक्षुओं अधिनियम 1961 का उद्योग के लिए कुशल मानव शक्ति के आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक सुविधाओं का प्रयोग किया गया। प्रारम्भ में यह अधिनियम व्यवसायिक प्रशिक्षुओं के लिए प्रशुद्धता प्रशिक्षण के लिए था। बाद में 1973, 1986 और 2014 इसके दायरे में तकनीशियन व्यावसायिक तकनीशियन स्नातक और वैकल्पिक व्यवसाय अपरेंटिस संशोधन द्वारा लाये गये।

उद्देश्य (Objectives)

अपरेंटिस (प्रशिक्षु) अधिनियम 1961 निम्नलिखित के साथ अधिनियमित किया गया था।

- उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए ताकि केन्द्रिय शिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की अवधि आदि के अनुरूप हो।
- प्रशिक्षुओं को प्राकृतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों मे उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके ताकि उद्योग जगह के लिए कुशल जनशक्ति का निर्माण हो।

अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring of the implementation of the act)

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय प्रशिक्षु अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। चेन्नई फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित प्रशिक्षुक प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय निदेशालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के उपकमों और विभागों और प्रतिष्ठानों या अन्य उपक्रमों और विभागों और प्रतिष्ठानों या अन्य राज्यों में व्यावसायिक ऑपरेंटिस से संबंध में प्रशिक्षुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- राज्य शिक्षुता सलाकार राज्य सरकार के उपक्रम विभागों और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक अपरेंटिस के संबंध में अधिनियम के कार्यविधि के लिए जिम्मेदार है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग स्नातक तकनीशियन और तकनीशियन व्यवासायिक शिक्षु से के संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह निगरानी चेन्नई, कोलकाता, और मुंबई में स्थित शिक्षुता प्रशिक्षण के चार माध्यम से की जाती है।

केन्द्रिय शिक्षुता परिषद (Central Apprenticeship Council)

- यह एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है यह केन्द्र, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और नियोक्ताओं के सदस्यों के साथ एक संवैद्यानिक त्रिपक्षीय निकाय है।
- यह सरकार की नीतियों के निर्धारण और शिक्षुता प्रशिक्षण से संबंध में मापदंडों और मानकों को निर्धारित करने की सलाह देती है।

(Fields of apprenticeship training)

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दोनों निर्दिष्ट और वैकल्पिक ट्रेडों में प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है।

- **निर्दिष्ट व्यवसाय (Designated trade):** निर्दिष्ट व्यवसाय का मतलब सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी व्यापार या व्यवसाय से है।
- **वैकल्पिक व्यवसाय (Optional trade)** का अर्थ किसी नियोक्ता द्वारा तय किया गया कोई व्यवसाय और occupation

प्रशिक्षुता की श्रेणियाँ (Categories of apprentices)

प्रशिक्षुता की पाँच श्रेणियाँ है-

- व्यवसाय प्रशिक्षुता
- स्नातक प्रशिक्षुता
- तकनीशियन प्रशिक्षुता
- तकनीशियन (व्यवसायिक) प्रशिक्षुता
- वैकलपिक व्यवसाय प्रशिक्षुता

कवरेज (Coverage)

- यह नियोक्ताओं की ओर से आवश्यक है जिनके पास जनशक्ति या उससे अधिक है और अपेक्षित प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचा है जो कि संलग्नक में संलग्न है।
- नियोक्ता संविदात्मक कर्मचारी शक्ति प्रतिष्ठान की कुल श्रम शक्ति की 2.5% से 10% तक बाद में प्रशिक्षुओं को संलग्न करेगा।
- 2.5% से 10% के वैंडविड्थ में प्रशिक्षुओं के कुल जुड़ाव में स्थापना से जुड़े प्रशिक्षुओं की सभी श्रेणियाँ शामिल है।
- प्रतिष्ठान या नियोक्ता प्रशिक्षुओं और ट्रेडों की श्रेणियाँ को तय कर सकते है जिसमें प्रशिक्षुओं को उनके कार्य स्थल पर प्रशिक्षण या प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके साथ उपलब्ध सुविधा के आधार पर लगाया जा सकता है।

छात्रवृत्ति (Stipend)

ट्रेड अपरेंटिस को देय प्रति माह छात्रवृत्ति की न्यूनतम दर इस प्रकार है (The minimum rate of stipend per month payable to trade apprentices is as follows):

- ट्रेड अपरेंटिस के लिए छात्रवृत्ति का खर्च नियोक्तयों द्वारा वहन किया जाता है।

छात्रवृत्ति (पंजी) (year wise)	
वर्ष	**छात्रवृत्ति की निम्नतम दर**
प्रथम वर्ष	संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 70%
द्वितीय वर्ष	संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 80%
तृतीय & चौथा वर्ष	संबंधित राज्य या केन्द्रिय शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 90%

- स्नातक, तकनीशियन और व्यवसायिक प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति की दरें, प्रतिमाह क्रमशः 4984 रूपयें, 3542 रूपयें और 2758 रूपये प्रति माह (19 December 2014) से प्रभावी
- स्नातक, तकनीशियन और व्यवसायिक तकनीशियन शिक्षुओं की श्रेणी के लिए छात्रवृत्ति पर व्यय नियोक्ता और केन्द्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

ट्रेड (व्यवसाय) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण (Training of Trade Apprentices)

- न्यूनतम आयु 14 है।
- योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण से कक्षा 12 उत्तीर्ण प्रणाली के बीच होती है।
- प्रशिक्षण अवधि 1 से 2 वर्ष के बीच होती है।
- प्रशिक्षण में बेसिक प्रशिक्षण और प्राकृतिक प्रशिक्षण शामिल है संबंधित निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है।
- 39 ट्रेड समूह में 261 ट्रेडों को नामित किया गया है।
- प्रशिक्षुओं के लिए सीटों की संख्या की गणना कर्मचारी की कुल शक्ति के 2.5% के बैंड में की जाती है।
- प्रत्येक प्रशिक्षु और नियोक्ता को शिक्षुता प्रशिक्षण के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता हे, जो शिक्षुता सलाहकारों द्वारा पंजीकृत होता है।
- नियोक्ता ओर प्रशिक्षुओं को अधिनियम के तहत अपने दायित्व को पूरा करना होगा।

ट्रेड प्रशिक्षुता का परीक्षण और प्रमाण पत्र (Testing and certification of Trade Apprentices)

- व्यवसाय प्रशिक्षुता के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट (AITT) का आयोजन राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) साल में दो बार (Octocber/November and April) आयोजित करना है।

- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो उत्तीर्ण होते है।
- सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों/संगठन के तहत रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त है।

ट्रेड अपरेंटिस की कौशल प्रतियोगिता (Skill competition of Trade Apprentices)

- प्रशिक्षुओं के साथ-साथ प्रतिष्ठानों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
- कौशल प्रतियोगिता 15 ट्रेडों के लिए आयोजित की जाती है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिकल), इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिक मोटर व्हीकल, टूल एवं डाई मेकर (प्रेस टूल्स, जिग्स एवं फिक्सचर्स), इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक, ड्राफ्टस्मैन मेकेनिकल, मेकेनिक मशीन टूल मेन्टेनेंस वायरमैन, मेकेनिक (डीजल), रेफ्रिजरेशन एंड एयर-कंडीशनिंग मेकेनिक और इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक।

स्नातकों, तकनीशियानों और तकनीशियकों व्यवसायिक प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण (Training of Graduate, Technician And Technician (Vocational Apprentices))

- 163 विषय क्षेत्रों को स्नातक और तकनीशियन अपरेंटिस की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है।
- 137 विषय क्षेत्रों को तकनीशियन (व्यवसायिक) अपरेंटिस की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया।
- इन श्रेणियों के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है।
- प्रबंधकीय/पर्यवेसी (Manegerial/Supervisory) और प्रशिक्षण सुविधाओं के आधार पर सीट निकाली/उपलब्ध करायी जाती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित शिक्षुता सलाहकार प्रतिष्ठान के बीच संयुक्त परामर्श में तैयार किया जाता है।
- शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिये जाते है।

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) (Craft Instructor Training Scheme (CITS))

- शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय पूर्ववर्ती मंत्रालय रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय DGE&T) की जिम्मेदारी है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की स्थापना के बाद से प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना चालू/पहल शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 1948 में स्थापित चालू किया गया था। इसके बाद प्रशिक्षक के लिए केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्था (अब राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI) में 13 और संस्थान लुधियाना, कानपूर, हावड़ा, मुम्बई, हैदराबाद, बैंगलौर, कालीकट, भुवनेश्वर, जोधपूर, हल्दवानी, देहरादून और जमसेदपूर की स्थापना DGT के द्वारा की गई थी।
- शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी भी अर्ध कुशल और कूशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों को कौशल प्रदान करने तकनीक (Hands on skills) को प्रशिक्षित करना है। उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना ऐसी है कि कौशल विकास और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में ही व्यापक प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है।
- कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षु अधिनियम के तहत उद्योगों द्वारा स्थापित सरकारी, प्राइवेट ITI और केन्द्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन संस्थानों में 24 इंजीनियरिंग और 10 गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों की पेशकश की जा रहा है। बैठने की क्षमता को बढ़ाने के लिए शिफ्ट शूरू की गई है। शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, उपरोक्त संस्थानों मं बैठने की क्षमता 13000 से अधिक है।प्रशिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक वर्ष के प्रशिक्षण के स्थान पर शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण के सेमेस्टर पैटर्न को NSTI और ITOT में प्रस्तुत किया गया है, 2014 सत्र के बाद से भारत में DGT के तहत प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्थानों को 2017 जून में अग्रिम (अडवांस) प्रशिक्षण संस्थानों में विलय हो गया है।वर्ष 2010 के दौरान सरकार न राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा इंस्ट्रक्टर टेंनिग इंस्टीट्युट स्थापित करने की अनुमति दी, कंपनियों के तहत एक मात्र स्वामित्व, प्राइवेट/सार्वजनिक उपक्रम (limited) जैसी कंपनियों अधिनियम के अनुसार पंजीकृत, सोसायटी और ट्रस्ट और SEZ_s के प्रमोटर्स को। प्रशिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मानकों का स्तर बनायें रखने के लिए, NCVT ने अवसंरचना और पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग मानकों को मंजूरी दी है। मानकों को पूरा करने वाले संस्थान के NCVT के साथ संबंद्ध होंगें। इन संस्थानों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (ITOT) के रूप में नामित किया जाता है। पशिक्षुओं के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको ट्रेड टेस्ट (व्यवसाय) परीक्षण और उनको राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है। ITOT's की स्थापना के लिए जनवरी 2012 में अधिसूचनायें जारी की गई थी।
- Noida में NVTI और RVTI मुम्बई, बैंगलौर, त्रिवेंद्रम, जयपूर, इलाहाबाद, वडोदरा, पानीपत, कोलकाता, शिमला, राजपूरा, त्रिची, अगरतला और पटना है। इनमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से किये जा रहे है। जैसे सचिवीय पद्यति (अंग्रेजी), सचिवीय अभ्यास (हिंदी), इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक, ड्रेस मेकिंग, कम्पयूटर एडेड एम्ब्रोयडरी एंड नीडल वर्क, फैशन टेक्नोलोजी, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप और ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग।
- कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षु अधिक तहत उद्योगों द्वारा स्थापित संस्थान प्राइवेट ITI और केन्द्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन संस्थानों में 24 इंजीनियरिंग और 10 गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों की पेशकश की जा रही है। बैठने की क्षमता हो बढ़ाने के लिए शिफ्ट शुरू की गई है। शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम के तहत, उपरोक्त संस्थानों में बैठने की क्षमता 13000 से अधिक है।
- प्रशिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक वर्ष के प्रशिक्षण के स्थान पर शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण के सेमेस्टर पैटर्न को NSTI और ITOT में प्रस्तुत किया गया है।

2014 सत्र के बाद से भारत में DGT के तहत प्रशिक्षण संस्थान (Training Institutes under DGT in India)

केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्थानों को 2017 जून में अग्रिम (अडवांस) प्रशिक्षण संस्थानों में विलय हो गया है।

DGT के तहत विभिन्न नाम वाले जैसे ATI, FTI, ATI, EPI, AHI, NVTI और RVTI कौशल आधारित प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे है। लेकिन संस्थान के नाम पर कौशल सामग्री परिलक्षित नही होती है भ्रम, एकरूपता से बचने और संस्थान के नाम पर "कौशल" को प्रतिबिंबित करने के भारत सरकार ने अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नाम बदल दिया गया है।

Fig 2

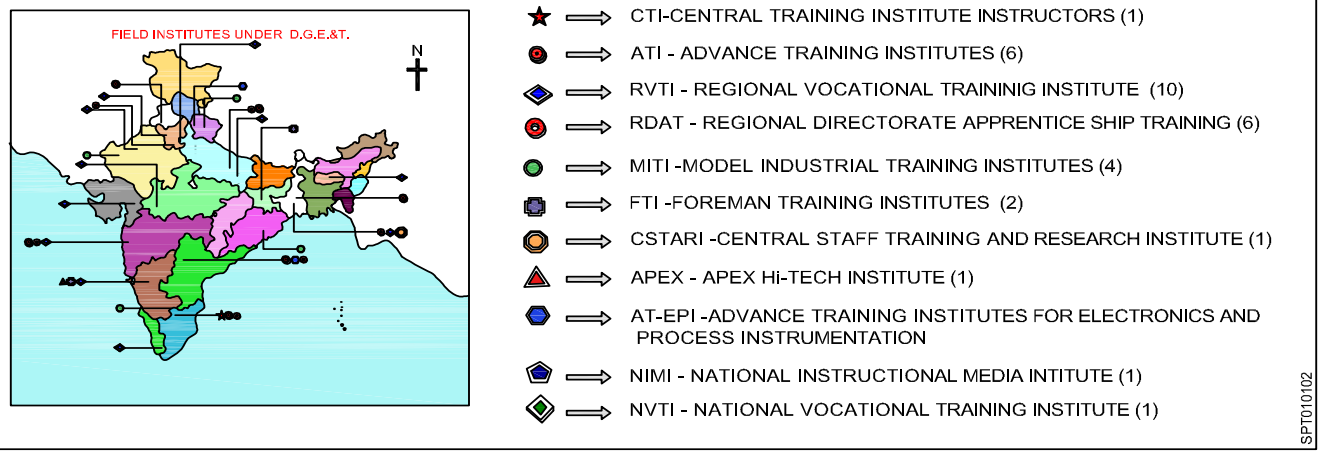

केन्द्र कौशल प्रशिक्षण निकायों को विलय कर परिषद में बदलता है। (Centre merges skill training bodies, forms new council)

केन्द्रिय मंत्रीमण्डल ने कौशल विधायक (Skill Space) - NCVT और NSDA ने मौजूदा नियामक संस्थानों को राष्ट्रीय व्यवसायिक और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) में शामिल करने के (10 अक्टूबर 2018 से प्रभावी) के विलय को मंजूरी दी है।

NCVET के प्रमुख कार्यों में सम्मानित करने वाले निकायों की मान्यता और विनियमन शामिल होंगें।

कौशल प्रशिक्षण निकायों का विलय (Merging of skill training bodies)

केन्द्रिय मंत्रीमण्डल के कौशल वियामक (Skill Space)- NCVT और NSDA में मौजूदा नियामक संस्थानों को राष्ट्रीय व्यवसायिक और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) में शामिल करने (10 अक्टूबर 2018 से प्रभावी) के विलय को मंजूरी दे दी है। नये निकाय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थानों के काम काज को विनियमित करते है, दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक और ऐसी संस्थानों के कामकाज के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना करते है।

NCVT के प्रारंभिक कार्यों में मान्यता प्राप्त निकायों, मूल्यांकन निकायों की मान्यता ओर विनियमन शामिल होंगें, पुरूस्कार देने वाले निकायों और सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा विकसित योग्यता की स्वीकृति; पुरस्कृत निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन; अनुसंधान और सूचना प्रसार और शिकायत निवारण परिषद बोर्ड की अध्यक्षता एक अध्यक्ष के पास होगी और इसमें कार्यकारी और गैर कार्यकारी सदस्य होंगें। परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और इसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे।

विलय से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार में सुधार होगा और व्यवसायिक शिक्षा को विश्वसनीयता मिलेगी और DGT द्वारा कार्यान्वित कौशल अंतरिक्ष योजनाओं में अधिक से अधिक प्राइवेट निवेश और नियोक्ता की भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए ऋण मिलेगा।

DGT द्वारा कार्यान्वित योजनायें

- क्राफ्टस्मैन ट्रेनिंग स्कीम (CTS)
- अप्रेन्टिशिप ट्रेनिंग अभ्यास (ATS)
- वीमेन ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग स्कीम (WOT)
- क्राफ्टस्मेन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS)
- शोर्ट टर्म कार्सेस

महिला प्रशिक्षण (Women training)

अवलोकन (Overview)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत महिला प्रशिक्षण अवलोकन महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यकम देश में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का ध्यान रखता है और इसका उद्देश्य सामाजिक विकास आर्थिक विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

महिलाओं के लिए NSTI की स्थापना NSTI (पूर्ववर्ती NVTI/RVTI) को ध्यान में रखते हुए की गई है। महिलाओं के लिए मुख्य रूप से महिला प्रशिक्षकों को प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये प्रशिक्षित

प्रशिक्षक पूरे देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के एक नेटवर्क के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करते है।

महिलाओं के लिए NSTI की स्थापना निम्न आप वर्ग समूह और समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। अक्टूबर 2018 से प्रभावी कौशल महिलाओं को आकर्षित करने के लए कई अभ्यास जैसे कच्चे माल, योग्यता, सह साधन वजीफा/ छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएँ आदि को अपनाया गया है।

महिलाओं के लिए NSTI ने NCVT अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्राफ्टस्मैन ट्रेनिंग स्किम (CTS) और क्राफ्टस्मैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) के तहत इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक, आर्किटैक्चरल ड्राफ्टस्मैनशिप असिस्टेन्टशिप, सेक्रेटैरियल प्रेक्टिस कॉसमैटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, केटरिंग और हॉस्पिटालिटी इन्टीरियर डेकोरेशन और डिजाइनिंग आदि।

महिलाओं के लिए विशेष रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण महिलाओं के लिए पहले 11 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक (NSTIs) में एक (नोएडा, बैंगलौर, मुम्बई, तिरूवनंतपूरम, पानीपत, कोलकाता, तुरा, इलाहाबाद, इंदौर, वडोदरा और जयपूर) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 8 नये NSTI (तत्कालीन RVTIs) की स्थापना को सरकार द्वारा अनुमोदित कियागया है। भारत के उन राज्यों में महिलाओं के लिए कोई मौजूदा NSTI नहीं थे इनमें से 8 NSTI (W), 07 NSTIs(W) ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपूरा, तमिलनाडू, तेलंगाना और गोआ राज्यों में काम करना शूरू कर दिया है।

CST और CITS के तहत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 2017-18 महिलाओं के लिए NSTI & 4664 में नियमित सीटें स्वीकृति की गई है। स्थापना के बाद से 1,45,000 महिला प्रशिक्षुओं को इन संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है।

(Short term courses)

लघु अवधि के पाठ्यक्रम लघु अवधि के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण प्रदान करने और इंजीनियर्स/सुपरवाइजर्स/तकनीशियनों/औद्योगिक कर्मियों के कर्मचारी और शिक्षण संस्थानों की फैकल्टी (Faculty) के कौशल को अपडेट (Update) करने के लिए, मॉड्युलों में संचालित छोटी अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से संचालित किये जाते है। अपने उद्योगों/सरकारी Estt./ PSUs/ तकनीकी संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकतायों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाते है। उद्योग में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों और मशीनरी के नवीनतम रूपांतरण का उपयोग करके गहन कौशल उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम संचालित किये जाते है।